

प्रकरण क्रमांक : 26/21 dt 16.8.21

प्रकरण दर्ज दिनांक .....

आवेदक : सु. गोलकी मार्क 015 म/15 5112776 (उक्त) CGRERA-P-Exc-m PRD-2019-00952

16/12/22

प्रकरण आज V.C के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।

आवेदक द्वारा श्री सुराना अधिवक्ता ।


अनावेदक क्र. 10, 11, 12 एकपक्षीय।

अनावेदक संदीप स्वतः उपस्थित।

शेष अनावेदकगण द्वारा अधि. श्री बंजारे अधि.।

अनावेदक संदीप द्वारा एक आवेदन मय बैंक दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा प्रकरण क्र. M-PRO-2019-00950 में आदेशित राशि 1,55,617/- रु. प्रकरण क्र. M-PRO-2019-00952 में आदेशित राशि 1,62,330/- रु. प्रकरण क्र. M-PRO-2019-00951 में आदेशित राशि 1,12,839/- रु. कुल राशि 4,30,786/- को RERA Desingnated account no 328405000138 में माननीय प्राधिकरण के आदेश के पालन में जमा करा दिया गया है। पूर्व पेशी पर आवेदक द्वारा आवेदन पेश कर निवेदन किया था कि अनावेदक द्वारा प्लॉट क्र. 282 बी की आदेश अनुसार रजिस्ट्री दिनांक 18/11/2022 को आवेदक के नाम पर कर दी गई है। इस कारण वे निष्पादन आवेदन को वापिस लेना चाहते हैं और अनावेदक के विरुद्ध निष्पादन कार्यवाही समाप्त करना चाहते हैं। प्रकरण में माननीय अर्थोरिटी के आदेश का पालन कर दिया गया है। आवेदिका के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया है तथा आदेशित राशि अनावेदक ने RERA Desingnated account में जमा कर दी है। उक्त की पुष्टि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा जारी बैंक स्टेटमेंट व प्रस्तुत विक्रय पत्र की प्रति से होती है। चूंकि आवेदक इस निष्पादन प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती तथा माननीय अर्थोरिटी का पालन हो चुका है। अतः प्रकरण खारिज किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

  
न्याय निर्णायक अधिकारी  
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण  
छत्तीसगढ़, रायपुर